


मालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 02/2020

तारीखरजू:- 20.2.2020

उनवान:- बनवारी बनाम गिर्राज वगै०

बावत डिवीजन ऑफ हाल्लिंग व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 12.02.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
<p>2.2.20</p>	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 से 10 की ओर से श्री लखनलाल शर्मा Adv. ने श्रीमो तथा प्रतिवादी नं. 11 से 18 की ओर से श्री विजयभारती Adv. ने वकालतनामा पेश किये। प्रतिवादी नं. 19 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। P.O. साहब करौली पधारे है। वकालतनामा व जबाबपेश करने व शक्ति आदेश दिनांक 4.3.20 को पेश हो।</p>
<p>4.3.20</p>	<p>वकुलाय उप०। प्रतिवादी नं. 19 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 से 10 का वकालतनामा पेश करने एक मौआ-पारा। वकालतनामा एवं जबाब पेश करने दिनांक 19.3.20 को पेश हो।</p>
<p>19.3.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 23.4.20 को पेश हो।</p>
<p>3.9.20</p>	<p>लाकडाउने के कारण जनरल चरीसे पेश हुई। वकील श्रधयपक्ष उप०। वकालतनामा व जबाबदावा पेश करने दिनांक 25.9.20 को पेश हो।</p>

273-91
20.1.2020



लीला चन्द इफ

लीला चन्द
Lal Chandra



लखन लाल शर्मा
1850

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

21.1.26

पत्रावती पत्र डी। वारी व वारी वकील कोर्ट उपरो
 नही वार-वार मावात दितागर्ग गर्ग काले कावपु
 कोर्ट उपदिष्ट नही। इमतिव वारी का काव
 कावत डिक्शन अंक हाकिम व लघादी निवेदाय
 मय्य पेशी मय्य हाकिमी में अरिज विषय पता
 है।

पत्रावती पेशी व अमार टैलर नम्बर देकर
 शक्ति रफत हो।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 टोडाभीम, जिला-करौली